नाद-नर्तन
जर्नल ऑफ डांस एण्ड म्यूजिक

UGC-CARE Listed ISSN: 2349-4654
वर्ष : 13, अंक : 1, जनवरी 2025

केंद्रीय विद्यालयों में संगीत शिक्षण प्रणाली : वर्तमान चुनौतियाँ एवं सुझाव

ओमप्रकाश सचदेवा
शोधार्थी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान

डॉ. पुनीता श्रीवास्तव
प्रोफेसर, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान

सार-संक्षेप

अन्य देशों की भाँति भारत में भी संगीत, शिक्षा का एक हिस्सा है। लगभग एक शताब्दी पूर्व ही यह प्रणाली, घरानों की संकीर्ण मानसिकताओं को तोड़कर उन्मुक्तताओं की सांस लेकर, जन सामान्य के लिए सुलभ हो पाई है। प्रातः स्मरणीय पं. पलुस्कर जी तथा पं. भातखंडे जी के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप संगीत का शिक्षण विद्यालयों के द्वारा दिया जाने लगा है, यह प्रायः सभी जानते हैं। एक पद्धतिबद्ध निश्चित पाठ्यक्रम, शिक्षण की निश्चित समयावधि, सर्वजन सुलभता आदि के कारण, संगीत की यह प्रणाली संपूर्ण देश में व्याप्त हो गई, पर जल्द ही यह महसूस किया जाने लगा कि इस पद्धति से संगीत की प्रभावी तथा गहन तालीम नहीं हो पा रही है। संगीत की विद्यालयीन शिक्षण प्रणाली में कुछ चुनौतियों का प्रकटीकरण हुआ है, जिनका स्थाई समाधान गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण के लिए जरूरी है। प्रस्तुत शोध पत्र में अपने अनुभव, अवलोकन, गुणात्मक, वर्णनात्मक, साक्षात्कार व चर्चा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों में संगीत की चुनौतियों को प्रकाशित करने के साथ निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना इस शोध-पत्र का उद्देश्य होगा।

मुख्य शब्द : केंद्रीय विद्यालय, संगीत, शिक्षण, पाठ्यक्रम, स्वायत्तशासी,

शोध-पत्र

केंद्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.एस.) आज शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का मानक एवं प्रेरणादायक संस्थान बनकर उभरा है। यह बढ़ते हुए वर्षों के साथ निरंतर नवाचार और सृजन की कहानी लिख रहा है। विभिन्न विषयों के साथ संगीत का भी अनिवार्य शिक्षण इन विद्यालयों की विशेषता है। संगीत, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने में अपना अमूल्य योगदान देता है। संगीत शिक्षा द्वारा विद्यार्थी अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास कर समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। लगभग एक शताब्दी पूर्व संगीत का अध्ययन केवल गुरु-शिष्य-परम्परा के अंतर्गत ही करना पड़ता था, क्योंकि संगीत शिक्षण, विद्यालय शिक्षण के रूप में नहीं था।

संगीत को व्यवसाय या मनोरंजन मात्र के उद्देश्य से ऊपर उठाकर, अन्य विषयों के समान महत्त्व प्रदान करने का और समाज के सभी वर्गों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का श्रेय आधुनिक युग के विद्वान संगीतज्ञों, पं. पलुस्कर जी, पं. भातखंडे जी आदि को जाता है। यद्यपि पलुस्कर जी और भातखंडे जी ने संगीत-शिक्षण-संस्थाओं का संस्थापन किया तथापि आधुनिक युग में संगीत शिक्षा को विश्वविद्यालयों में स्थान देने का श्रेय भी इन्ही महानुभावों को जाता है। इससे पूर्व संगीत शिक्षा हेतु कोई निश्चित प्रशिक्षण क्रम, कक्षाओं का नियत समय अथवा संगीत संबंधी परीक्षाओं के विषय की लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ''संगीत में निश्चित अभ्यास क्रम, नियमित कक्षाएँ और परीक्षाओं का प्रारंभ सर्वप्रथम पलुस्कर जी द्वारा हुआ।'' (श्रीखंडे 205) ''भारतवर्ष में सर्वप्रथम बडौदा में सन् 1886 ई. में मौला बक्श तथा पं. आदित्य राम दोनों ने सामूहिक रूप से संगीत शिक्षा देने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम संगीत विद्यालय के रूप में 5 मई, 1901 ई० को लाहौर का 'गांधर्व महाविद्यालय' स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना पं. विष्णु दिगंम्बर पलुस्कर जी द्वारा की गई। सर्वप्रथम विद्यालयीन शिक्षा के रूप में संगीत का शिक्षण इसी महाविद्यालय से शुरू हुआ इस महाविद्यालय की कार्यकारिणी में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य सहित लगभग दो दर्जन प्राध्यापक (अन्य विषयों के भी) सम्मिलित थे। 1909 ई० में इस विद्यालय की शाखा बम्बई में तथा 16 अप्रैल, सन् 1940 को दिल्ली में भी स्थापित हो गई।'' (वर्मा 13)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश भर में संगीत का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में धीरे धीरे संगीत के विद्यालय खुलने लगे। सरकार द्वारा सामान्य विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में भी संगीत को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाने लगी, तथा

संगीत भी दूसरे विषयों की भाँति पढ़ाया जाने लगा। जब से संगीत विषय को अन्य विषयों की भाँति एक पाठ्य-विषय के रूप में पढ़ने की सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त हुई है, तभी से संगीत का प्रसार पूरे भारतवर्ष में द्रुत गति से चल रहा है। ऐसे विद्यालयों में संगीत का हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे गायन, वादन, नृत्य।

भारत में अन्य विषयों के साथ संगीत शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्ग (Category) में बांटा जा सकता है:-

संगीत शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय

1. केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित/प्रबंधित विद्यालय (केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय आदि।)
2. राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित/प्रबंधित विद्यालय
3. गैर सरकारी शैक्षिक संगठन (डीएवी, प्रथम, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इत्यादि।)
4. स्वतंत्र अथवा निजी विद्यालय

उपरोक्त दी गई श्रेणियों में ही एक वर्ग है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालय जिसमें स्वायत्तशासी विद्यालयों (Autonomous Bodies School) की एक श्रृंखला आती है, इनमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान आदि सम्मिलित है। केंद्रीय विद्यालय भारत में स्वायत्तशासी विद्यालयों की सबसे बड़ी श्रृंखला के रूप में जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्ष 1963-64 में इन विद्यालयों की स्थापना की गई। ''केंद्रीय विद्यालय संगठन (के०वि०एस०) मुख्यालय के अंतर्गत 25 क्षेत्रीय कार्यालय, पाँच शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान, 1256 विद्यालय, 56783 अध्यापक तथा 1337614 बच्चे शामिल है।'' (केंद्रीय विद्यालय संगठन 2024) हाल ही में ''केंद्रीय मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने तथा सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त अनुभाग जोड़कर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की घोषणा भी की है।'' (हिन्दुस्तान 2024) केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्ञान/मूल्यों को प्रदान करने तथा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा उत्साह और रचनात्मकता को पोषित करने में विश्वास रखता है।

केंद्रीय विद्यालयों में संगीत शिक्षा के उद्देश्य

केवी में संगीत शिक्षा केवल प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को प्रदान की जाती है, अतः इन कक्षाओं में संगीत शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
2. देश की सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता की रक्षा करना।
3. बच्चों का नैतिक व चारित्रिक विकास करना।
4. बच्चों की मानसिक शक्तियों (यथाः चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, निर्णय, स्मरण) का विकास करना।
5. संगीत के अध्ययन को शैक्षिक और सह शैक्षिक विषयों के साथ एकीकृत करना।
6. बालकों की सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास करना।
7. महत्त्वपूर्ण दिवसों, राष्ट्रीय सम्मान, सामाजिक, धार्मिक, त्योहार और अवसरों को उत्सव के माध्यम से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
8. बच्चों में गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण।
9. खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
10. बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करना।

शोधप्रविधि : शोधार्थी द्वारा अलग-अलग संभागों के 15 संगीत शिक्षकों से साक्षात्कार के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय की समस्याओं संबंधित डेटा संग्रहण किया गया। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 66 केंद्रीय विद्यालय तथा लगभग 92 प्राचार्यों के तत्वाधान में कार्य किया है। स्वयं शोधार्थी को भी लगभग 13 वर्ष के संगीत शिक्षण के काल में चार केंद्रीय विद्यालयों में तथा 10 प्राचार्यों के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी शिक्षक, पर्यवेक्षक प्रभारी (Escort Duties) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं हेतु अन्य केंद्रीय विद्यालयों में जाते रहते हैं जिससे उन विद्यालयों व शिक्षकों की कार्यशैली तथा समस्याओं को जानने का अवसर भी प्राप्त होता है। अतः शिक्षकों से जो डेटा एकत्रित किया गया उसके माध्यम से शोधार्थी ने निम्नलिखित चुनौतियां/समस्याओं को चिन्हित करने का प्रयास किया है:

केंद्रीय विद्यालयों में संगीत शिक्षण की चुनौतियाँ

केंद्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संगीत शिक्षण में परिलक्षित प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं:

1. संगीत शिक्षण केवल प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपलब्ध

केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक अध्यापक (संगीत) के पदों हेतु शिक्षकों की भर्ती की जाती है, अतः संगीत शिक्षा केवल प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) तक ही उपलब्ध है। यह विद्यार्थी आगे के स्कूली वर्षों कक्षा 6 से 10 में संगीत का सफर जारी नहीं रख सकते हैं। हालांकि विद्यालय के विभिन्न संगीतिक कार्यक्रमों में उच्च कक्षाओं के बच्चों को तैयारी की जिम्मेदारी अनाधिकारिक रूप से शिक्षक को दी जाती है, परंतु संगीत की कक्षाएं, बड़ी कक्षाओं में आधिकारिक रूप से नहीं होती है, जबकि इस संबंध में NCF2005 में स्पष्ट कहा गया था कि ''कला शिक्षा आवश्यक रूप से एक उपकरण और विषय के रूप में शिक्षा का हिस्सा (कक्षा 10 तक) हो और हर विद्यालय में इससे संबंधित सुविधाएँ हों। कला के अंतर्गत संगीत, नृत्य, दृश्य कला और नाटक चारों शामिल किए जाने चाहिए।'' (एनसीईआरटी 63)परन्तु जब प्राथमिक कक्षाओं में सीखा ज्ञान आगे जारी नहीं रहेगा व उसकी पुनरावृति नहीं होगी तो वह

धीरे धीरे भूल जायेगा। कॉलेज शिक्षा में जाने पर विद्यार्थी अगर संगीत विषय के साथ आगे बढ़ना चाहे तो वह उन बच्चों की बराबरी नहीं कर पायेगा जिन्होंने संगीत सभी कक्षाओं में लगातार सीखा है।

2. पाठ्यक्रम न होना

केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं हेतु संगीत विषय का कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, जबकि पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। इस स्थिति में अध्यापक को बिना पाठ्यक्रम के कैसे पता चलेगा कि उसे कब, कहाँ, क्या, क्यों और कैसे कार्य को करना है। अतः वह बिना पतवार की नैया की मानिद, समुद्र की लहरों के साथ इधर-उधर हिचकोले खाता रहेगा, किसी मंजिल पर नहीं पहुँचेगा। दिनांकः 24/11/21 को श्री प्रदीप कुमार जी के द्वारा दायर की गई द्वित्तीय याचिका में, संगीत शिक्षक द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम की मांग के संबंध में, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने पत्र संख्या फ.11011/2के.वि.सं. (मु.)/आर.पी.एस./1594-1596 में स्वीकार किया कि ''इस फाइल में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस प्रकार का पत्र/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।'' (केंद्रीय विद्यालय संगठन 2021) साक्षात्कार के दौरान कुछ शिक्षकों का यह भी तर्क था कि बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक बंधनमुक्त हो अपने समय, साधन और बच्चों की जरुरत के अनुसार शिक्षण करवा सकते हैं परन्तु 'नव चयनित एवं संविदा पर रखे संगीत शिक्षकों हेतु पाठ्यक्रम' के प्रश्न पर सभी शिक्षकों ने एकमत से पाठ्यक्रम के महत्त्व को स्वीकार किया।

3. संगीत शिक्षण हेतु उपयुक्त स्थान का न होना

अधिकतर अस्थाई आवास में संचालित अथवा नए खुले केवी में संगीत कक्ष उपलब्ध नहीं हो पाते, कहीं उपलब्ध हैं, तो बहुत छोटे हैं। ऐसे में संगीत शिक्षण कार्य बाधित होता है। डेटा एकत्र किये गये विद्यालयों में से लगभग 13 प्रतिशत पुराने विद्यालयों में भी संगीत कक्षाएँ अन्य कक्षों (यथा–सीएमपी रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि) में चलाई जा रही/गईं हैं। शोधार्थी ने स्वयं भी 2009 से 2011 तक केंद्रीय विद्यालय बिजापुर, कर्नाटक में अपनी प्रथम तैनाती के दौरान पाया कि संगीत शिक्षण, बिना कक्ष के ही संगीत शिक्षिका द्वारा कक्षाओं में जा-जा कर करवाया जा रहा है, प्राचार्य से बार-बार निवेदन करने पर कक्षों की कमी बताते हुए, लगभग 6×12 स्क्वायर फीट का एक स्टोर रूम, वाद्य यंत्रों हेतु प्रदान किया गया। समस्या जस की तस थी, संगीतिक उपकरण उठा-उठा कर प्रत्येक कक्षा में जाकर, लगभग 40-50 बच्चों को संगीतिक कार्य करवाना आगामी स्थानान्तरण तक बहुत चुनौती पूर्ण कार्य रहा। तीन संविदा कर्मियों (जिन्होंने दो से अधिक सेक्शन वाले बड़े विद्यालयों में संगीत कोच के पद पर कई बार कार्य किया) के साक्षात्कार में एक मुख्य बात निकलकर सामने आई कि 'दो से अधिक सेक्शन वाले बड़े विद्यालयों में संविदा पर एक अन्य संगीत कोच रखने का निर्देश, संगठन द्वारा दिया जाता है, परन्तु उनके लिए अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएँ (संगीत कक्ष, अतिरिक्त वाद्ययन्त्र, श्रव्य-दृश्य सामग्री आदि) विद्यालय में कम ही उपलब्ध हो पाती हैं, ऐसे में एक अन्य संगीत कक्ष की कल्पना ही निरर्थक है।' (कुकरेजा, शालिनी, नीरज)

4. कक्षा में बालकों की संख्या अधिक होना

केंद्रीय विद्यालय अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, अतः प्रत्येक अभिभावक का सपना होता है कि उनके बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। यही कारण है कि इन विद्यालय की कक्षाओं में बच्चों की संख्या आमतौर पर ज्यादा ही रहती है। प्रत्येक केवी में नियमानुसार हर सेक्शन में कुल 40 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न प्रावधानों के आधार पर यह संख्या और भी बढ़ जाती है। केवी की प्रवेश नीति अनुसार- ''जब किसी कक्षा की संख्या 55 तक पहुँच जाती है तो ऐसी स्थिति में एक अन्य सेक्शन खोलने के प्रयास किये जाते है।'' (केंद्रीय विद्यालय संगठन 35) इस स्थिति में अन्य विषयों के साथ भले ही समस्याएँ उत्पन्न न हों, परन्तु संगीत विषय में अलग तरह की परेशानियाँ पेश आती हैं। वास्तव में अधिक बच्चे संगीत शिक्षण के लिये जटिल समस्या हैं, क्योंकि चालीस मिनट के समय में प्रत्येक बच्चे को गहनतापूर्ण क्रियात्मक पक्ष की शिक्षा देना चुनौतीपूर्ण कार्य है। कक्षा में छात्रों का वाद्य यंत्रों के साथ बैठ पाना मुश्किल होता है। दूसरे अभ्यास के दौरान बच्चों की अधिक आवाज से दूसरी कक्षाओं का शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है।

5. वाद्य यंत्रों का अभाव

विभिन्न संगीत शिक्षकों से साक्षात्कार में पाया गया कि स्थानान्तरण के दौरान अलग अलग विद्यालयों के क्रम में लगभग 30 प्रतिशत विद्यालयों, खास तौर से छोटे एकल खंड (Single Section) विद्यालयों में जरूरी वाद्य यंत्रों की कमी देखने को मिलती है। कहीं-कहीं यह खराब पड़े हैं, जिन्हें ठीक करवाने हेतु या तो बजट नहीं है अथवा प्राचार्य दिलचस्पी नहीं लेते।

6. प्रौद्योगिकी और संसाधन अभाव

आज का संगीत तकनीक आधारित है, हालांकि ''केंद्रीय विद्यालय संगठन में विद्यार्थी कंप्यूटर अनुपात 18:1 है तथा ब्रॉडबैंड सुविधा वाले विद्यालय 96 प्रतिशत हैं।'' (केंद्रीय विद्यालय संगठन 23) परंतु अभी भी बहुत से संगीत कक्षों में जरूरी तकनीक यथाः प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, साउंड सिस्टम, रिकॉर्डिंग तकनीक एवं सेटअप, इलेक्ट्रॉनिक यन्त्र, इंटरनेट फैसिलिटी इत्यादि चीजें गायब है। अधिकतर शिक्षकों ने साक्षात्कार के दौरान यह बात कबूल की, कि उनका संगीत कक्ष अद्यतन (Updated) नहीं है इसकी वजह 'Down Filtration System' सामने आई, अर्थात् सबसे पहले प्राचार्य कक्ष, प्रथम श्रेणी शिक्षकों के विभाग (लैब), फिर द्वितीय श्रेणी, प्राथमिक अध्यापक (सामान्य विषयक), कार्यालय कर्मचरियों को बंटने के बाद अंत में कुछ बच जाये तो संगीत विभाग को याद किया जाता है।

7. संगीत शिक्षक की अन्य कार्यों में सलंग्नता

शिक्षकों से चर्चा (साक्षात्कार) के दौरान यह पाया गया कि प्राथमिक अध्यापक (संगीत) को कक्षा 1 से 5 तक नियमित संगीत कक्षाओं के अलावा, माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण, कक्षा अध्यापक का कार्यभार, अन्य विषयों का शिक्षण कार्य, पर्यवेक्षक प्रभारी (Escort Duties), सदन प्रभारी (House Master) जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न कर दिया जाता हैं, हालांकि एक शिक्षक को विद्यालय की कार्यप्रणाली का जानकार होना चाहिए, परन्तु इसकी सीमा होनी चाहिए, इन कार्यों की अधिकता से अपने विषय पर ध्यान केंद्रित नही हो पाता और अपेक्षित सांगीतिक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं।

8. अधिकारियों व विद्यालय प्रमुखों का संगीत के प्रति उपेक्षित रवैया

सभी विद्यालयों के संगीत शिक्षकों ने साक्षात्कार के दौरान एक स्वर में यह बात स्वीकारी कि अधिकतर विद्यालयों में संगीत को एक कभी-कभार होने वाली गतिविधि (Occasional Activity) की तरह मानते हुए अधिकारियों/विद्यालय प्रमुखों की ओर से समर्थन का स्तर बहुत कम है। संगीत, विद्यालयों के लिए, पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान अनिवार्य नहीं है, अतः विद्यालय अधिकारियों से संसाधन, वित्त-पोषण और अन्य महत्त्वपूर्ण सहायता मानक के अनुरूप प्राप्त नहीं होते। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एनसीईआरटी ने भी इस सम्बन्ध में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि ''हमारी शिक्षा व्यवस्था कला को 'उपयोगी शौक' या 'मनोरंजक गतिविधि' मात्र मानती है। कला बस विद्यालय के स्थापना दिवस, वार्षिक दिवस, गणतंत्र दिवस या विद्यालय निरीक्षण के दौरों के अवसर पर प्रदर्शन की वस्तु बन कर रह गई है। इन अवसरों के पहले या बाद में विद्यालय के विद्यार्थियों को कला से दूर ही रखा जाता है और विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों की ओर धकेला जाता है जिन्हें पढ़ना परीक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी होता है। कला की समझ धीरे-धीरे न केवल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों में बल्कि नीति-निर्माता व शिक्षाविदों में भी कम हो रही है।'' (एनसीईआरटी 62)

समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव/संभावित समाधान

केंद्रीय विद्यालयों में संगीत शिक्षक की चुनौतियों के निराकरण हेतु संभावित उपाय/सुझाव निम्नलिखित हैं–

1. उच्च कक्षाओं में संगीत शिक्षण की उपलब्धता

इस दिशा में सबसे पहले सभी के.वी. की उच्च कक्षाओं (कक्षा 6 -10) में संगीत की कक्षाएँ नियमित रूप से प्रारंभ की जानी चाहिए और योग्य संगीत शिक्षकों की नियुक्तियां होनी चाहिए जिससे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे आगे उच्चतर कक्षाओं में भी अपना सांगीतिक सफर जारी रख सके। इससे वे ''संगीत शिक्षा के माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा भी अधिक तीव्र गति से प्राप्त कर सकेंगे।'' (शर्मा 115) डॉ. ध्यान सिंह वर्मा का सुझाव है कि ''संगीत एक बहुत कठिन विषय है, जिसको अन्य विषयों की तरह विद्यालयीन स्तर से अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना अति आवश्यक है, अगर ऐसा किया जाये तो महाविद्यालय स्तर पर इस विषय को पढने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे संगीत के गिरते हुए स्तर को बचाया जा सकता है।'' (वर्मा 78)

2. उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयन

इस हेतु सभी के.वी. में सांगीतिक पाठ्यक्रम लागू कर एकरूपता लानी होगी ताकि विद्यालय के नव चयनित एवं संविदा पर रखे संगीत शिक्षकों को पहले ही दिन से कब, कहाँ, क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर पाठ्यक्रम द्वारा मिल सकें। पाठ्यक्रम हेतु संबंधित विषय विशेषज्ञों से परामर्श कर सुदृढ़ पाठ्यक्रम का निर्माण करना होगा जिससे अध्यापकों को यह एक बोझ न लगकर जरूरी साथी प्रतीत हो। इसमें नए आयाम यथाः वाद्य यंत्रों के निर्माण एवं उनकी मरम्मत करने की तकनीक, रिकॉर्डिंग तकनीक आदि विषय भी सम्मिलित किये जाने चाहियें।

3. संगीत शिक्षण हेतु उपयुक्त स्थान का चुनाव

बेहतर परिणाम की प्राप्ति हेतु विद्यालय में अलग से ऐसे संगीत कक्ष की व्यवस्था की जाए, जो साउंड प्रूफ हो। जिससे संगीत संबंधी विभिन्न खेल प्रणालियों के चार्ट और सहायक उपकरण, सभी प्रकार के भारतीय संगीत वाद्यों तथा भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लोक वाद्य उपलब्ध हो, गायन, वादन तथा नृत्य तीनों विधाओं के कलाकारों के चित्र, शास्त्रीय गायन-वादन तथा समूह गीतों का संग्रह आदि सामग्री भी वहाँ होनी अपेक्षित है जिसके कारण समस्त वातावरण ही संगीतमय प्रतीत होने लगे।

4. कक्षा में बालकों की संख्या सीमित

के.वी. की कक्षाओं में बच्चों की संख्या आमतौर पर ज्यादा ही रहती है। ऐसी स्थिति में छात्र-शिक्षक अनुपात ज्यादा होने पर शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना लाजमी है। इस संबंध में के.वी. ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार स्वस्थ्य छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए कक्षा में प्रवेश की निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश के लिए कुछ विशेष प्रावधानों को वापस ले लिया है।'' (केंद्रीय विद्यालय संगठन 38) अब आने वाले कुछ वर्षों में प्रत्येक कक्षा में बालकों की संख्या में लगभग 15 से 20 प्रतिशत की कमी देखने को मिलेगी, निश्चित ही के.वी. की तरफ से यह बहुत अच्छा और बड़ा कदम उठाया गया है, इससे प्रत्येक बच्चे पर पहले की अपेक्षा ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।

5. वाद्य-यंत्रों व संसाधनों की उपलब्धता

विद्यालय में जिन वाद्य-यंत्रों को ठीक करवाया जा सकता है उन्हें ठीक करवाकर तथा जरूरी वाद्य यंत्र को खरीद कर इस कमी को दूर करना चाहिए। बिना वाद्य-यंत्रों के संगीत शिक्षक अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। प्रचलित तकनीक और संसाधनों के अभाव में भी

बेहतर परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः इस दिशा में उच्च अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

6. संगीत शिक्षक को सांगीतिक कार्य ही प्रदान किये जायें

संगीत एक विषय नहीं बल्कि कला है, और वह भी सर्वोच्च कला है। कला को पढ़ा अथवा पढाया नहीं जाता बल्कि कला की साधना की जाती है तथा साधना करवाई जाती है। इसलिए संगीत जैसे विषय के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इस संबंध में प्रो. प्रदीप कुमार दीक्षित जी लिखते हैं कि ''शिक्षा के अधिकाधिक दिन/समय हों और कम से कम अवकाश। दो अवकाश (ग्रीष्मावकाश व सर्दियों की छुट्टियाँ) तो अनिष्ट का मूल हैं। संगीत अन्य विषयों की तरह पढ़ कर नहीं, नित्य प्रति जुटे रहने से आत्मसात हो सकता है।''(नेहरंग 22) ऐसी स्थिति में यदि संगीत शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाये रखेंगे तो वह संगीत शिक्षण के लिए समय नहीं दे पायेगें, अतः अपेक्षित परिणाम की आशा व्यर्थ है।

7. खुद की सोच में बदलाव

संगीत शिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा की मात्र दूसरों के बदलने से समस्याएँ नहीं बदलेंगी अपितु उन्हें भी अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। प्रायः देखा गया है कि नौकरी मिलने के पश्चात बहुत से शिक्षक निष्क्रिय हो जाते हैं और अपने आप को अद्यतन (Update) नहीं करते हैं, नई-नई तकनीक का लाभ नहीं उठाते हैं। जो संगीतिक ज्ञान जिन विधियों से 20 साल पहले सीखा था, उन्हीं विधियों को आज भी ढो रहे हैं। अकसर देखने में आता है कि मेहनती व कार्य के प्रति समर्पित शिक्षकों को सहकर्मियों व उच्चाधिकारियों का साथ मिलता है और आलसी व निष्क्रिय व्यक्तियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अतः हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इस प्रकार हम सुधरेंगे-स्थिति सुधरेगी। हम जुटेंगे-साथ मिलता जाएगा। अन्यथा 'एकला चालो रे' तो है ही।

निष्कर्ष

संगीत शिक्षा, जो व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है, इस हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। ''महान वायलिन शिक्षक शिनिची सुजुकी के शब्दों के अनुसार, 'संगीत शिक्षा व्यक्ति को लंबे समय में बहुत लाभ पहुँचाती है। और हमारे इतिहास के ऐसे कई उदाहरण हैं जो उनके शब्दों को साबित करते हैं। महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में 'सापेक्षता का सिद्धांत मुझे अंतर्ज्ञान से आया और संगीत इस अंतर्ज्ञान के पीछे प्रेरक शक्ति है। मेरे माता-पिता ने मुझे 6 साल की उम्र से ही वायलिन का अध्ययन कराया था। मेरी नई खोज संगीत की समझ का परिणाम है।'' (उपाध्याय 2023) अतः दुनिया के महानतम व्यक्तियों के शब्दों को अनदेखा न करके, संगीत शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन कर, वैज्ञानिक पद्धति को महत्त्व देते हुए केंद्रीय विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में भी सांगीतिक अवधारणाओं तथा विषय को समायोजित करते हुए एक ऐसी प्रणाली को प्रकाश में लाने की आवश्यकता है, जिससे छात्रों की क्षमताओं, रचनात्मक शक्तियों और कलात्मक प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर अन्य बोर्ड, संस्थागत व निजी विद्यालय जिनमें संगीत विषय का संचालन नहीं हो रहा, उनमें संगीत विषय के पाठ्यक्रम को शामिल कर अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीखंडे, सुरेश गोपाल, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्रणाली, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चंडीगढ़, पृष्ठ-205
2. वर्मा, ध्यान सिंह, संगीत शिक्षण की समस्याएं, भावना प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ-13
3. केंद्रीय विद्यालय संगठन, आधिकारिक वेबसाइट, 29 जुलाई 2024
4. हिन्दुस्तान, देश न्यूज, दिल्ली-हरियाणा के बीच मेट्रो का चौथा फेज मंजूर, 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय भी खुलेंगे, 07 दिसम्बर, 2024
5. केंद्रीय विद्यालय संगठन, प्रवेश नीती, वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, पृष्ठ-35
6. केंद्रीय विद्यालय संगठन, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23
7. एनसीईआरटी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृष्ठ-62-63
8. केंद्रीय विद्यालय संगठन; फ.11011/2के.वि.सं.(मु.)/आर.पी. एस./1594-1596; 23 नवम्बर 2021
9. साक्षात्कारः संविदा, कोच
   - कुकरेजा, निशा, संगीत अध्यापिका (संविदा, कोच), श्री गंगानगर, 15 जुलाई 2024, दोपहर 1.33
   - शालिनी, संगीत अध्यापिका (संविदा, कोच), चंडीगढ़, पंजाब, 09 अगस्त 2024, सांय 5.15
   - नीरज, संगीत अध्यापक (संविदा, कोच) गिदडबाहा, पंजाब, 09 अगस्त 2024, रात्रि 8.05
10. केंद्रीय विद्यालय संगठन, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23
11. एनसीईआरटी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृष्ठ-62
12. शर्मा, पुष्पेंद्र, संगीत की उच्च स्तरीय शिक्षक प्रणाली, ईस्टर्न बुक लिंकर, दिल्ली, भारत, पृष्ठ-115
13. वर्मा, ध्यान सिंह, संगीत शिक्षण की समस्याएं, भावना प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ-78
14. केंद्रीय विद्यालय संगठन, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, पृष्ठ-38
15. नेहरंग, प्रदीप कुमार दीक्षित, आदर्श संगीत शिक्षा व्यवस्था, संगीत कला विहार, सितम्बर 2010, पृष्ठ-22
16. उपाध्याय, धारिणी, संगीत का महत्त्व और संगीत एक कैरिअरके रूप में, शिक्षा, 20 अक्टूबर 2023